कल्याणमल बनाम् रा.रा.वि.नम्डल वगै०
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 95/18

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय तारीख व दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दिनांक 30-4-18 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष–2018

दिनांक 07-06-18

.2018 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–हॉसपुर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादीगण न. 1 ता 3 की ओर से सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर उपस्थित आये। सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 675, 678, 679, 680, 681, 682 अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण न. 4 ता 6 को कोई विधुत कनेक्शन जारी नहीं कर रहे है।

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 675, 678, 679, 680, 681, 682 अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त भूमियों में वादीगण काबिज खातेदार कृषक है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई ताल्लुक किंसी किस्म का नहीं है। कतिपय व्यक्ति व प्रतिवादी न. 4 ता 6 प्रतिवादी न. 1 से 3 से मिलकर वादीगण की भूमि पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने व इसमें अवैध रूप से अपने हक हकूक कायम करने पर आमादा है। प्रतिवादी न. 4 ता 6 ने वादीगण की कृषि भूमि में प्रतिवादी न. 1 ता 3 से मिलकर अवैध रूप से विधुत कनेक्शन लेने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार से

भूमि खसरा न. 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682 ... जारी नहीं कर रहे है
AEn SMPR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

[illegible]

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 95/1995

नहीं है। ये लोग पहले किसी ग्राम सेवक के अवैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के जरिये विधुत कनेक्शन लेना चाहते थे व फिर जब अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया तो अब किरायेदार के रूप में कतई अवैध रूप से कनेक्शन लेकर वादीगण के हक हकूको को आघातित करने पर आमादा होने से वाद नियोजन आवश्यक होने पर प्रतिवादीगण रामधन व उसके पिता के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमें वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहा है कि वे बगैर सायलान की अनुमति के किसी भी व्यक्ति या प्रतिवादी न. 4 ता 6 को किसी भी प्रकार का घरेलू या कृषि विधुत कनेक्शन जारी नहीं करें। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, अ. वि. वि. नि. लि. श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 675, 678, 679, 680, 681, 682 अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण न. 4 ता 6 को कोई विधुत कनेक्शन जारी नहीं कर रहे है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभय पक्ष की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नम्बर 675, 678, 679, 680, 681, 682 अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में किसी भी प्रकार का घरेलू अथवा कृषि प्रयोजनार्थ विधुत कनेक्शन जारी नहीं करें व प्रतिवादी न. 4 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे कोई भी विधुत कनेक्शन उक्त भूमि में नहीं लेवे, ना ही कोई अतिक्रमण करें एव

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

कल्याणमल बनाम् रा.रा.वि.मण्डल वगै0
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 95/1995

ना ही उक्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–हॉसुपर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–हॉसपुर

Scanned by CamScanner